

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :- 02/144/2014

पुष्पा देवी बनाम प्रेम देवी
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.06.2018



आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.06.2014 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 60/0.24, 62/0.13, 63/0.30, 65/0.17, 66/0.09, 67/0.06, 68/0.07, 69/0.17, 74/0.09, 75/0.10, 77/0.30, 78/0.28, 80/0.15, 81/0.15, 98/0.24, 99/638/0.09, 100/661/0.08, 101/640/0.06, 101/660/0.15, 102/0.58, 103/0.37, 104/0.28, 89/682/0.10, 100/0.17, 101/0.34, 105/110/0.63, 76/654/0.01, 88/0.05, 89/0.06, 90/0.07, 92/0.12, 93/0.09, 94/0.05, 95/0.04, 96/0.11, 97/0.09, 107/695/0.11 है। वाके ग्राम दूंदपुरी व खसरा नम्बर 1171/0.07, 1173/0.08, 2262/0.21 है। वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 05.08.2014 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से मुताबिक कार्यकाशत में व्यवधान न करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2067-70 वाके दूंदपुरी व खोह के अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित प्रार्थीगण की प्रथम दृष्टया खातेदारी की आराजी है इसलिए प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2014 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 4 वर्ष का समय हो गया है। अतः प्रकरण काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 60/0.24, 62/0.13, 63/0.30, 65/0.17, 66/0.09, 67/0.06, 68/0.07, 69/0.17, 74/0.09, 75/0.10, 77/0.30, 78/0.28, 80/0.15, 81/0.15, 98/0.24, 99/638/0.09, 100/661/0.08, 101/640/0.06, 101/660/0.15, 102/0.58, 103/0.37, 104/0.28, 89/682/0.10, 100/0.17, 101/0.34, 105/110/0.63, 76/654/0.01, 88/0.05, 89/0.06, 90/0.07, 92/0.12, 93/0.09, 94/0.05, 95/0.04, 96/0.11, 97/0.09, 107/695/0.11 है। वाके ग्राम दूंदपुरी व खसरा नम्बर 1171/0.07, 1173/0.08, 2262/0.21 है। वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 18.06.2014 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कैम्प कोर्ट खोह पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट खोह)